

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्वाकर्मा, आर.ए.एस.

223RTA2024-079(GCMS2024-199)

1. पेमाराम उर्फ प्रेमराज पुत्र श्री चुन्नीलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री पेमाराम उर्फ प्रेमराज
3. कमलादेवी पत्नी पेमाराम उर्फ प्रेमराज
जातियान् सोनार, निवासीगण- पंडितजी की ढाणी,
तहसील औरसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्डस ...

ब

ना

म



1. रामलाल पुत्र श्री हीरालाल
2. धनराज पुत्र श्री हीरालाल
3. झुमरलाल पुत्र श्री मांगीलाल
4. ताराचन्द पुत्र श्री मांगीलाल
5. पप्पुलाल पुत्र श्री मांगीलाल
6. लूणीदेवी पत्नी श्री मांगीलाल
7. भोमाराम पुत्र श्री घेवरराम
8. जगदीश पुत्र श्री घेवरराम
9. तुलसीराम पुत्र श्री अलाराम
10. देवीकिशन पुत्र श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम (नाबालिग
जरिये कुदरती वलिया माता बरजू पत्नी श्री अजाराम उर्फ
अर्जुनराम)
11. मंजू पुत्री श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम (नाबालिग जरिये
कुदरती वलिया माता बरजू पत्नी श्री अजाराम उर्फ
अर्जुनराम)
12. बरजू पत्नी श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल
14. मनोहरलाल पुत्र श्री बाबूलाल
15. गणेशराम पुत्र श्री बाबूलाल
16. भूराराम पुत्र श्री बाबूलाल
17. भगाराम पुत्र श्री बाबूलाल
18. संतोष पुत्री श्री बाबूलाल
19. लीलादेवी पुत्री श्री बाबूलाल
20. पूजा पुत्री श्री बाबूलाल (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल)
21. माया पुत्री श्री बाबूलाल (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल)
22. मंजू पुत्री श्री बाबूलाल (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल)
23. सवाईराम पुत्र श्री शंकरलाल
24. जोगाराम पुत्र श्री शंकरलाल
25. राणाराम पुत्र श्री शंकरलाल के कायम मुकाम: -
 - 25.1. दिनेश पुत्र स्व. श्री राणाराम
 - 25.2. राकेश पुत्र स्व. श्री राणाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भूरी पत्नी स्व. श्री राणाराम)
 - 25.3. निरमा पुत्री स्व. श्री राणाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भूरी पत्नी स्व. श्री राणाराम)
 - 25.4. भूरी पत्नी स्व. श्री राणाराम
26. श्यामलाल पुत्र श्री शंकरलाल
27. रुकमो पत्नी श्री शंकरलाल
28. भंवरी पुत्री श्री हीरालाल
29. जेतीदेवी पुत्री श्री हीरालाल



30. रुक्मो पुत्री श्री हीरालाल
31. गंगा पुत्री श्री हीरालाल
32. जेठीदेवी पुत्री श्री हीरालाल
33. कमला पत्नी श्री गिरधारीलाल
34. कन्हैयालाल पुत्र श्री चुन्नीलाल

सभी जातियान् सोनार,
निवासीगण ग्राम पण्डित जी की ढाणी,
तहसील औसिया, जिला जोधपुर।

35. राजस्थान सरकार

जरिये तहसीलदार औसियां,
जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिक्री
दिनांक 02 मार्च 2020 सहायक कलक्टर औसियां
राजस्व मूल वाद संख्या 47/2019 रामलाल व अन्य
बनाम झूमरलाल इत्यादि


उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, श्री प्रेम कुमार विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री ओमप्रकाश बूब, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1,2,8,9,14,23,24,25/2 से
25/4,27,34
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 35
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद
संख्या 47/2019 अनवान रामलाल व अन्य बनाम झूमरलाल इत्यादि में
पारित निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 मार्च 2020 के खिलाफ
आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर.

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 जून 2024 को प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 404 रकबा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 405 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं. 406 रकबा 03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 408 रकबा 04.01 बीघा ग्राम पण्डितजी की ढाणी तहसील औसियां के संबंध में धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02 दिसंबर 2019 को वाद में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश जारी किये गये, और तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 मार्च 2020 के जारी की गयी, जिसके खिलाफ अपीलांद्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। विचारण न्यायालय ने वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं दिया तथा तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में करते हुए फैसला कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना समुचित तामील के पत्रावली में एकतरफा कार्यवाही करके फैसला कर दिया गया। अपीलार्थी को विचारण न्यायालय से वाद की सुनवाई का कोई नोटिस नहीं मिल, उनके निवास स्थान पर कोई

राजस्थान अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नोटिस लेकर आया ही नहीं। इस मामले में जिस विभाजन प्रस्ताव को आधार मानकर फैसला किया गया है, वह विभाजन प्रस्ताव कानून की नजर में कोई प्रस्ताव ही नहीं है। उक्त विभाजन प्रस्ताव अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में मनमाने ढंग से तैयार कर पेश किया गया है जो मौके के हालात के बिलकुल विपरीत है। जिस विभाजन प्रस्ताव को आधार मानकर निर्णय किया गया है, वह विभाजन प्रस्ताव वादीगण के कहे अनुसार तैयार करके पेश किया गया है। मौके पर कोई पैमाईश नहीं की गई एवं न ही मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कोई व्यक्ति आया। तमाम कार्यवाही कार्यालय में बैठकर ही वादीगण के कहे अनुसार कर दी गई। विभाजन प्रस्ताव तैयारी में नियम 18 से 21 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नं. 407/1 में से जहां रास्ता बताया गया है, वहां अपीलार्थीगण के रहवासीय मकान बना हुआ है। विभाजन प्रस्ताव में मौके पर जो स्थिति थी, जिसे बिलकुल विपरीत दर्शाया गया। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव पूर्णरूप से गलत पेश किये गये है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी करते हुए फैसला कर दिया एवं निर्णय आज्ञा सूची में लिखकर किनारा कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 07 जून 2024 को वादीगण पुलिस को साथ में लेकर अकस्मात विवादग्रस्त भूमि पर पैमाईश एवं पत्थरगढी करने के लिए आये एवं मौके पर अपीलार्थी के मकान के आस-पास खुटे लगाने लगे तब अपीलार्थी ने विरोध किया, तब अपीलार्थी को बताया कि नक्शे में तरमीम की हुई है एवं उक्त तरमीम उपखण्ड अधिकारी औसियां के निर्णय के आधार पर की हुई है। तब अपीलार्थी ने इस बारे में पता करना शुरू किया तो दिनांक 12 जून 2024 को पता लगा कि विचारण न्यायालय से बंटवाडे की डिक्री जारी की गई



राजरज अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है, तब उसी समय संपूर्ण पत्रावली व फैसले की नकल मांगी जो नकल दिनांक 12.06.2024 को प्राप्त हुई, जिसे पढ़ने से अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से हस्तगत अपीले अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2019 एवं निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 मार्च 2020 को अपास्त फरमाया जावे

जवाब में रेस्पोंडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पूर्व से ही थी, क्योंकि अपीलांट्स द्वारा वर्ष 2022 में विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया था, उस वाद में स्पष्ट तौर पर वाद पत्र में अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि के लिये 11.05.2022 को सीमांकन हुआ था एवं अपीलांट द्वारा जो मूल वाद प्रस्तुत किया गया था, उस समय भी उनके द्वारा अपनी भूमि के समस्त राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी ली गई थी। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के खसरा नंबर अंकित करते हुए पत्थरगढी के लिए डिफेंड



राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया था। अपीलांट द्वारा पुलिस थाना औरसियां में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 221 दिनांक 27 अगस्त 2022 दर्ज करवाते समय भी वादग्रस्त आराजी का विवरण दिया था। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरुआत से ही रही है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251-ए राजस्थान कातशकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में जाने हेतु रास्ते का आवेदन भी वर्ष 2022 में किया, जिससे भी उसे वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी शुरुआत से ही रही है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. ने अपनी बहस के समर्थन में 2005(1)आर. एल.डब्ल्यू. पेज 141, 2011(2)आर.एल.डब्ल्यू. पेज 1767, 1999 आर.आर.डी. पेज 389, 1991 आर.आर.डी. पेज 164, 1989 आर.आर.डी. पेज 500 की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आघोपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत संबंधित तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने की पूर्व सूचना दिया जाना उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकट नहीं होता है। इसके अलावा, संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तैयार नहीं किये गये, अपितु पटवारी हक्का एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक 428 दिनांक 26 फरवरी 2020 के संलग्न कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री जारी किये गये हैं, जो समर्थन योग्य नहीं पाये जाते हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 मार्च 2020 अपास्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जावे और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए विधिसम्मतः निर्णय एवं फाइनल डिक्री पारित किये जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश विश्वाजी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर